

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.142 पार्ट 3/स्वा.का.पु./2018/570

दिनांक :- 8/3/18

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफडी/नियम/2008 दिनांक 12.9.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14(88) वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.09 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित स्वा0 कार्यकर्ता (पुरुष) को उनके नामों के सम्मुखानुसार एतद द्वारा ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पदस्थापन जिला	संवर्ग में नियुक्ति दि.	पूर्ण सेवावधि वर्ष	एसीपी स्वीकृति दिनांक	पै-बैण्ड	ग्रेड-पे
1	श्री बिजेन्द्र सिंह मीणा, अलवर	24.07.89	27 वर्ष	24.07.16	9300-34800	4200
2	श्री शिवजी लाल मीणा, टोंक	03.07.90	27 वर्ष	03.07.17	9300-34800	4200
3	श्री रमेश चन्द्र यादव, डूंगरपुर	02.08.90	27 वर्ष	02.08.17	9300-34800	4200

स्वीकृत एसीपी में वेतन निर्धारण संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.142 पार्ट 3/स्वा.का.पु./2018/570

दिनांक :- 8/3/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर/अजमेर/उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर/टोंक/डूंगरपुर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी रैणी (अलवर)/उनियारा (टोंक)/सीमलवाडा (डूंगरपुर)।
4. प्रभारी सर्वर रूम, कमारा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर